

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—दसम, भोजपुर, आरा।  
सत्र वाद सं०—63/2021

01.02.2024

आवेदक अभियुक्त लक्ष्मण यादव की ओर से दि०—18.03.2023 को दाखिल आवेदन संचालित किया गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि इस वाद में जख्मी लक्ष्मण सिंह और उनकी पत्नी कमलावती देवी का F.I.R और Injury report कांड दैनिकी के साथ उपलब्ध नहीं है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में जख्मी लक्ष्मण सिंह और उनकी पत्नी कमलावती देवी का F.I.R और Injury report कांड दैनिकी के साथ उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त लक्ष्मण देव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—दसम,  
भोजपुर, आरा।